

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	1-5
अध्याय 1		
परिचय		
1.1	आईएफएमएस की शुरुआत	8
1.2	झारखण्ड में आईएफएमएस की आवश्यकता	8
1.3	झारखण्ड में आईएफएमएस	9
1.4	आईएफएमएस के उद्देश्य	11
1.5	आईएफएमएस के मुख्य हितधारक	11
1.6	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	14
1.7	लेखापरीक्षा मानदंड	14
1.8	लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली	14
अध्याय 2		
परियोजना प्रबंधन		
2.1	प्रबंधन/संगठनात्मक संरचना	17
2.2	वित्त विभाग के अंतर्गत परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) की स्थापना	18
2.3	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा कार्य योजना तैयार करने में विलंब	18
2.4	परियोजना कार्यान्वयन	20
2.5	आईएफएमएस मॉड्यूलों का गैर-कार्यान्वयन एवं विलंब	21
2.6	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	24
2.7	अधिग्रहण नियंत्रण	25
अध्याय 3		
आईटी नियंत्रण		
3.1	सामान्य नियंत्रण	27
3.1.1	सॉफ्टवेयर विकास में अपर्याप्त प्रलेखन	27
3.1.2	व्यवसाय निरंतरता योजना का अभाव	27
3.1.3	परिवर्तन प्रबंधन योजना की गैर-तैयारी	28
3.1.4	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ गैर-एकीकरण	29
3.1.5	अप्रभावी सहायता-डेस्क प्रबंधन	30
3.2	आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियंत्रण	32

कंडिका		पृष्ठ संख्या
3.2.1	कोषागार (भुगतान) मॉड्यूल और पेंशन मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण का अभाव	32
3.2.2	आईएफएमएस में सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ राशि के राजस्व की कम वसूली	46
3.2.3	आवंटन के बिना किया गया व्यय	50
3.2.4	आईएफएमएस डेटाबेस में वास्तविक समय के आधार पर संशोधित अनुमानों के आंकड़ों का गैर-अद्यतनीकरण	55
3.2.5	डीसी विपत्रों को प्रस्तुत किए बिना एसी विपत्रों का आहरण	57
3.2.6	आईएफएमएस के माध्यम से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत/अनुश्रवण करने का गैर-प्रावधान	58
3.2.7	आईएफएमएस में चुकता ऋण/ब्याज पुनर्भुगतान के डेटा की अनुपलब्धता	59
	परिशिष्ट	63-75
	संक्षेपाक्षर	77-78
	शब्दावली	79-81

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
3.1	3.2.1(ii)	कोषागारों द्वारा पेंशनभोगियों को भुगतेय डीसीआरजी/सीभीपी के साथ साथ वास्तव में किसी अन्य पेंशनभोगियों को प्राधिकृत डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान	63
3.2	3.2.1(iii)	कोषागारों द्वारा त्रुटिपूर्ण भुगतान संज्ञापन तैयार करने के कारण पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान	64
3.3	3.2.1(iv)	कोषागारों द्वारा डीसीआरजी/सीभीपी के भुगतान के दौरान टीडीएस राशि के त्रुटिपूर्ण जोड़ के कारण अधिक व्यय का संधारण	65
3.4	3.2.1(v)	आईएफएमएस में महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकारों के गैर-अद्यतनीकरण के कारण आईएफएमएस में, कोषागारों द्वारा पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान किया गया दिखाई दिया	67
3.5	3.2.1(vi)	कोषागारों द्वारा विपत्र श्रेणी के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण आईएफएमएस में पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान दिखाई दिया	72
3.6	3.2.1(vii)	कोषागारों द्वारा त्रुटिपूर्ण पीपीओ संख्या दर्ज करने के कारण, आईएफएमएस में पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान दिखाई दिया	75

